न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 135/2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023/162

प्रार्थीगण

भीखाराम पुत्र झूमरलाल, जाति सुथार, निवासी उम्मेदनगर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत उम्मेदनगर पंचायत समिति तिंवरी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर जरिये सरपंच।
2. पारसमल पुत्र स्व. श्री पन्नाराम के कायम मुकाम :–
   2/1. श्रीमती छोटीदेवी पत्नी स्व. पारसमल
   2/2. सुभाष पुत्र स्व. पारसमल
   2/3. विनोद पुत्र स्व. पारसमल
   2/4. आरती पुत्री स्व. पारसमल
   2/5. मोनिका पुत्री स्व. पारसमल
   जातियान राव निवासीगण उम्मेदनगर पंचायत समिति, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर। कायम मुकाम 2/4 व 2/5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती छोटीदेवी पत्नी स्व. पारसमल।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 45 मिसल संख्या 99/45 दिनांक 26.11.99 जो ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा अप्रार्थी पारसमल पुत्र पन्नाराम व फूसाराम पुत्र पन्नाराम के नाम से जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री छोटूसिंह सोढा (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया (अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 तक)

आदेश दिनांक :–27.09.2024

प्रार्थीगण ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 45 मिसल संख्या 99/45 दिनांक 26.11.99 जो ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा अप्रार्थी पारसमल पुत्र पन्नाराम व फूसाराम पुत्र पन्नाराम के नाम से जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत उम्मेदनगर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.10.09 10:33:28 IST
Reason: SelfAttested

वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत उम्मेदनगर से मूल अभिलेख तलब करने पर ग्राम पंचायत ने पत्र क्रमांक ग्रापउ/2017–18/77 दिनांक 07.03.2018 के द्वारा बतलाया कि ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा दिनांक 26.11.99 को जारी पट्टा संख्या 45 की पट्टा बुक, मिसल संख्या 99/45 व संबंधित बैठक कार्यवाही रजिस्टर का मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 24.09.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 27.09.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने ग्राम पंचायत से जारी पत्र क्रमांक 1 दिनांक 26.11.99 न्यायालय में पेष कर बतलाया कि ग्राम पंचायत उम्मेदनगर खण्ड तिंवरी की जानकारी में अया है कि एक पट्टा जो दिनांक 26.11.99 पट्टा संख्या 45 जो पारसमल, फूसाराम पुत्र पन्नाराम राव निवासी उम्मेदनगर नाम से है। पट्टे के संबंध में लेख है कि यह पट्टा ग्राम पंचायत उम्मेदनगर द्वारा जारी नहीं किया हुआ है। यह किसी शख्स द्वारा कूट रचित फर्जी बनाया गया है तथा इसमें सरपंच सहित दर्षाये गये हस्ताक्षर भी फर्जी है। काफी समय पहले इसका मुकदमा भी पुलिस थाना मथानिया में दर्ज हुआ था। इस प्रकार इस पट्टे का ग्राम पंचायत उम्मेदनगर से कोई सरोकार नहीं है। इसके साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता ने पुलिस थाना मथानिया द्वारा फूसाराम पुत्र पन्नाराम जाति राव का पूछताछ नोट पेष किया जिसमें फूसाराम ने बतलाया कि मैनें व मेरे भाई ने हमारे प्लॉट व भीखाराम सुथार के प्लॉट का सयुक्त पट्टा फर्जी बनाया जिसकी फोटो प्रति मेरे घर के बक्सा में रखी है जो मैं साथ चलकर बरामद करवा सकता हूँ। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने उक्त कथन का कोई खण्डन नहीं किया।

उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी ही नहीं किया गया है तथा उक्त पट्टा फर्जी है। पट्टे की वैधानिकता को देखना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है यदि उक्त पट्टा फर्जी व कूटरचित है तो इसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त निगरानी प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। आदेष की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 27.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.10.09 10:33:28 IST
Reason: SelfAttested